




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

मौ० यशोदा देवी

बनाम

भारती देवी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....150...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०-45/17 दिनांक-13.10.17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीनी बिबाद की लैका उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>24.11.17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
<p><u>24-11-17</u></p>		
<p>11-12-17</p>	<p><u>अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष उपस्थापित / उभय पक्ष जमानत दाखिल करी</u> <u>दिनांक 22-12-17 को रखा</u></p>	

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
04-06-18	<p>आमिनीकरण उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थित दिवसीय पत्र क्रमांक 03 उपस्थित क्रमांक 01, 02 अनुपस्थित । प्रथम पक्ष की ओर से गवार्दी नलीम देवी से परिणम एवं प्रतिपरिक्षण लिया गया तथा गवार्दी से मुक्त किया गया । इतक बाद में प्रथम पक्ष की ओर से आवेदन किया प्रचीन किया गया है कि वाद के निष्पादन हेतु 2 माह का अवधि विस्तार किया जाय ।</p> <p>प्रथम पक्ष के आवेदन को कारबीकृत किया जाता है दिनांक 2-07-18 को रखें ।</p> <p style="text-align: right;">f 4/6/18</p>
02-07-18	<p>आमिनीकरण उपस्थापित । प्रथम पक्ष अनुपस्थित दिवसीय पत्र अधिवक्ता (एजरी) इतक बाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण है जो की है अन्याय वाद कालबाधित हो गया है । अतः वाद में आमिनीकरण की कारवाही बन्द की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">f 2/7/18</p>